राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक प0 9(54)राज-6/2001 पार्ट /11 जयपुर, दिनांक : 29/11/10

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

:: **परिपत्र** ::

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक 21 दिनांक 19.11.2005 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 को दिनांक 23.07.2007 को अधिसूचित कर नियमों को निरसित कर दिया गया है तथा नियम, 1992 के स्थान पर राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 वर्तमान में अस्तित्व में है। अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत् भू-संपरिवर्तन करते समय समसंख्यक स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक 21 दिनांक 19.11.2005 (प्रति संलग्न) में अंकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः- **उपरोक्तानुसार।**

(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. निबधंक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव